संख्या- 319 /2025/ 3064 /चार-2025-1859349

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2025**

विषय:- अयोध्या धाम में दिनांक 17 से 19 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित दीपोत्सव-2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु चारू कैसल फाउण्डेशन, गाजियाबाद के माध्यम से विदेशी रामलीला के आयोजन में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय पर होने वाले व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2023/सं0नि0-15(69)/2025-26 टी0सी0, दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अयोध्या धाम में दिनांक 17 से 19 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित दीपोत्सव-2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु चारू कैसल फाउण्डेशन, गाजियाबाद के माध्यम से निम्नलिखित तीन देशों के रामलीला दलों के कलाकारों के मानदेय एवं दिल्ली तक आगमन व दिल्ली से प्रस्थान पर होने वाले व्यय विवरण से निम्नवत् अवगत कराया गया है:-

क्र0	**देश का नाम**	**द्वारा**	**दल में सदस्यों की संख्या**	**मानदेय राशि**
1	इण्डोनेशिया	चारू कैसल फाउण्डेशन, गाजियाबाद	प्रदर्शन 10 सदस्य	18.50 लाख
2	थाईलैण्ड		प्रदर्शन 12 सदस्य	15.50 लाख
3	रसिया		प्रदर्शन 13/14 सदस्य	26.10 लाख
	कुल योग (रू0 साठ लाख दस हजार मात्र)			**60.10 लाख**

2. शासन के पत्र संख्या- 3003 /चार-2025-1859349 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 के क्रम में संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या- 3037/सं0नि0-15(68)/2025-26, दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा निदेशालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया। उक्त गठित समिति की दिनांक 14.10.2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में की गई संस्तुति के क्रम में चारू कैसल फाउण्डेशन गाजियाबाद के माध्यम से पूर्व प्रस्तावित रामलीला दलों के मानदेय धनराशि रू0 60.10 लाख में निगोशिएशन के आधार पर संशोधित प्रस्ताव रू0 57.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित की गई है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 17 से 19 अक्टूबर, 2025 तक अयोध्या धाम में आयोजित दीपोत्सव-2025 में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में चारू कैसल फाउण्डेशन गाजियाबाद के माध्यम से आमंत्रित किये जाने वाले विदेशी रामलीला दलों यथा इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड, रसिया के कलाकारों के मानदेय, यातायात, वीजा फीस आदि पर होने वाले व्यय **रू0 57.00 लाख** (**रूपये सत्तावन लाख मात्र**) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42 अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in